

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

**जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शिक्षा संकाय के शैक्षिक अध्ययन विभाग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सहयोग से बाल अधिकारों पर किया एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित**

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2025

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शिक्षा संकाय के शैक्षिक अध्ययन विभाग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सहयोग से 6 अगस्त 2025 को बाल अधिकारों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रो. कौशल किशोर, डॉ. ज़ेबा तबस्सुम, डॉ. काज़ी फ़िरदौशी इस्लाम और डॉ. समीर बाबू एम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक थे।

इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों, स्कॉलर, शिक्षकों और छात्रों ने भारत में बाल अधिकारों के प्रमुख क्षेत्र की स्थिति, चुनौतियों और आगे की राह पर गहन चिंतन किया। दिन भर चले इस कार्यक्रम को कई विषयगत सत्रों में विभाजित किया गया था, जिसका समापन एक समापन समारोह से हुआ जिसमें प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने उद्घाटन सत्र में अपने मुख्य भाषण में बाल अधिकार कानून और उसके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सार्वजनिक नीति में बच्चों की आवाज़ की ऐतिहासिक उपेक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया और संस्थाओं से प्रतीकात्मक इशारों से आगे बढ़कर ठोस, व्यवस्थित हस्तक्षेप करने का आग्रह किया जो बच्चों की स्वायत्तता और गरिमा का सम्मान करते हों।

शिक्षा संकाय की डीन, प्रो. जेसी अब्राहम ने भी उद्घाटन सत्र में बाल अधिकारों से संबंधित अपने बहुमूल्य विचार साझा किए।

पहला सत्र काज़ी फ़िरदौशी इस्लाम ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जैसे अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानवाधिकारों का एक व्यापक परिचय दिया। उनकी प्रस्तुति ने शेष दिन के लिए एक वैचारिक आधार तैयार किया, जिसमें मौलिक अधिकारों को न्याय और समानता पर व्यापक वैश्विक विमर्श से जोड़ा गया।

दूसरे सत्र का संचालन नीलम सिंह ने किया और इसमें विशेष रूप से बाल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी) के मूल सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की और सम्मेलन से जुड़े वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर प्रकाश डाला। उनके सत्र में भारत की विधायी प्रतिक्रिया, विशेष रूप से बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, का अवलोकन भी शामिल था, जिससे वैश्विक ढाँचों और स्थानीय प्रवर्तन तंत्रों के बीच के अंतरों पर अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई।

तीसरे सत्र में, चारु मक्कड़ ने बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की गहन पड़ताल की। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के अधिकार (RTE) को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की और व्यवस्था में व्याप्त बहिष्कारों पर गंभीरता से विचार किया—चाहे वह जाति, विकलांगता, जेंडर या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर हो। सत्र में बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 पर भी पुनर्विचार किया गया, जिसमें 'खतरनाक' और 'गैर-खतरनाक' कार्यों की श्रेणियों पर विचार-विमर्श किया गया और बताया गया कि कैसे ये कानूनी ढाँचे अक्सर अनौपचारिक क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की वास्तविक स्थिति को समझने में विफल रहते हैं।

चौथे और अंतिम सत्र में बाल अधिकारों पर चर्चा को और भी गहन कानूनी फोकस के साथ आगे बढ़ाया गया। विचार-विमर्श किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000, विशेष रूप से लापता बच्चों और बाल संरक्षण सेवाओं के संदर्भ में, पर केंद्रित रहा। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस सत्र में सहमति, अपराधीकरण और बच्चों में कानूनी परिपक्वता और मनोवैज्ञानिक विकास के बीच जटिल अंतर्संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए। प्रतिभागियों को कानूनी औपचारिकताओं से आगे बढ़कर सोचने और सुरक्षा के लिए बनाई गई प्रणालियों में अंतर्निहित संरचनात्मक हिंसा से निपटने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

समापन सत्र समृद्ध और बहुस्तरीय संवादों के एक दिन का उपयुक्त समापन था। सत्र की मुख्य अतिथि सुश्री भारती अली थीं, जो एक प्रतिष्ठित विकास पेशेवर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने बाल एवं महिला अधिकारों के क्षेत्र में 29 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है। HAQ: बाल अधिकार केंद्र की कार्यकारी निदेशक और बाल अधिकार एवं स्थायित्व ट्रस्ट (CRST) की अध्यक्ष के रूप में, सुश्री अली ने इस बातचीत में अत्यधिक बारीकी और प्रामाणिकता प्रस्तुत की।

उन्होंने श्रोताओं को विविध सामाजिक संदर्भों में बचपन की एक समान परिभाषाएँ लागू करने की प्रवृत्ति पर पुनर्विचार करने के लिए चुनौती दी। इसके बजाय, उन्होंने जाति, जेंडर, विकलांगता और वर्ग जैसी अंतर्संबंधी वास्तविकताओं को पहचानते हुए, उम्र के अनुसार अनुकूलित कार्यक्रमों के डिज़ाइन की वकालत की। भारत में बाल अधिकारों की प्रगति का हवाला देते हुए, उन्होंने 1990 के दशक के बाद कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित ढाँचे की ओर हुए बदलाव को रेखांकित किया, जिसकी पहचान किशोर न्याय अधिनियम जैसे विधायी मील के पत्थर और बच्चों की स्वतंत्रता की बढ़ती मान्यता से हुई।

इस प्रभावशाली संबोधन के बाद, मुख्य आयोजकों में से एक, डॉ. समीर बाबू ने दिन भर की कार्यवाही पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने प्रत्येक सत्र की विषयवस्तु का सारांश प्रस्तुत किया और भावी शिक्षकों, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं को बाल-केंद्रित, अधिकार-समर्थक तरीकों से कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु ऐसे प्रशिक्षणों की प्रासंगिकता पर ज़ोर दिया।

कार्यक्रम का समापन सहायक प्रोफेसर डॉ. ज़ेबा तबस्सुम के संबोधन के साथ हुआ, जिन्होंने इस आयोजन को सार्थक और विचारोत्तेजक बनाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अतिथि वक्ताओं, संकाय सदस्यों, छात्र स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सभी प्रतिभागियों और स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जो न केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन का प्रतीक था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बच्चों के अधिकारों की रक्षा और वकालत करने की एक नई प्रतिबद्धता की शुरुआत का भी प्रतीक था।

प्रो. साइमा सईद  
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी

